पर्वतीय प्राकृतिक सम्पदा

Discussion Paper
Series No. MNR 96/H1

नेपाल मध्यस्थता समूह

जलबिरे महिला सामुदायिक वन समूह

सपना प्रधान मल्ल

अन्तर्राष्ट्रिय एकिकृत पर्वतीय विकास केन्द्र
काठमाण्डौ, नेपाल
२०५३

© सर्वाधिकार

अन्तर्राष्ट्रिय एकिकृत पर्वतीय विकास केन्द्र

ISSN 1024 - 7556

प्रकाशक

अन्तर्राष्ट्रिय एकिकृत पर्वतीय विकास केन्द्र
पोष्ट बक्स नं. ३२२६
काठमाण्डौ, नेपाल

इसिमोडको प्रकाशन इकाईमा टाईप डिजाइन गरेको

The views and interpretations in this paper are those of the author(s). They are not attributable to the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) and do not imply the expression of any opinion concerning the legal status of any country, territory, city or area of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

ISSN 1024 - 7556

नेपाल मध्यस्थता समूह

जलबिरे महिला सामुदायिक वन समूह

सपना प्रधान मल्ल

MNR Series No. 96/H1

सपना प्रधान मल्ल सर्वोच्च अदालत, नेपालको अधिवक्ता हुनु हुन्छ ।

श्रावण २०५३
अन्तर्राष्ट्रिय एकिकृत पर्वतीय विकास केन्द्र
काठमाण्डौ, नेपाल

धन्यवाद ज्ञापन:

मैं श्री ५ के सरकार वन विभाग के कर्मचारीयों एवं जलबिरे महिला सामुदायिक वन समूहकी महिला सदस्योंके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूं, जिन्होने अपना अमूल्य समय तथा जानकारियोंको उपलब्ध कराया है ।

इस वस्तु स्थिति के अध्ययन से प्राकृतिक सम्पदा का उपभोग करने के संवनध में उत्पन्न होनेवाले झगडे एवं विवादका निराकरण करने की दिशा में एकआपस की समझदारी और अधिक गहरी हो सकती है, ऐसी आशा की गई है । इस अध्ययन के सिलसिले में पायी गई समस्याओं के विषय में वन कर्मचारीयों, समुदायों, और गांवस्तर की संस्थाएं तथा सामुदायिक वन से सम्बन्धित सभी पक्षों को चाहिए कि वे गम्भीर रूप में बातचित (विचारोंका आदान प्रदान) करें ऐसा मुझे उपयुक्त लगता है ।

विषय सूची

पृष्ठभूमि	१
जलबिरे महिला सामुदायिक वन समूह	१
वन व्यवस्थापन का उद्देश्य	२
विवाद	३
विवाद समाधान के प्रयास	४
वन विभाग के निर्णय का विश्लेषण	५
वन विभागका निर्णय एवं इसका असर	६
सामाजिक एवं लिंग भेद सम्बन्धित प्रभाव	८
वन विभाग के प्रति विश्वास का घटना	८
आर्थिक प्रभाव	८
संस्थागत प्रभाव	८
जैविक वातावरणीय प्रभाव	९
वन विभाग में प्रभाव	९
लिङ्ग भेद के कारण पडा हुआ असर	९
कानूनी प्रश्न	१०
संभाव्य सिफारिश की खोज	११
सन्दर्भ सामग्री	१३

पृष्ठभूमि

गोरखा जिल्ला नेपालके पश्चिमाञ्चल क्षेत्र में स्थित है। इसके दक्षिण में नेपाल का तराई क्षेत्र एवं उत्तर की ओर तिब्बत है । जिल्ला की उंचाई ४८८ से लेकर ८,१५६ मिटर तक अनुमानित है । जिल्ला का भूभाग उच्च हिमाली पर्वत से लेकर उच्च पर्वत एवं मध्य पर्वतिय भाग तक फैला हुआ है। जिल्लाका कूल क्षेत्रफल ३६१,४७० हेक्टर है, जिसके अन्तर्गत ११२,५३५ हेक्टर वन, ४१,४८२ हेक्टर कृषिभूमि, २३,०५७ वंजर जमीन एवं ५८,९९० हेक्टर चारागाह हैं ।

सन् १९९१ की जनगणना के अनुसार गोरखा जिल्लाकी कुल जनसंख्या २५२,५२४ एवं जनघनत्व ७० प्रतिवर्ग कि.मि. है । घर-परिवार में औसत संख्या ५.१ है। ६ बर्ष एवं इससे उपर की जनसंख्या के अन्तर्गत ४३.६ प्रतिशत साक्षर है (१९८१ की जनगणना में १८.३ प्रतिशत साक्षर थे) । स्थानीय विभिन्न २० भाषा भाषी समुदाय होते हुए भी, मातृभाषा जिनकी नेपाली है वे सबसे बडे समुदाय में है । इसी तरह २२५,९३९ हिन्दू एवं २२,३९९ बौद्ध धर्मावलम्बी हैं ।

जलबिरे महिला सामुदायिक वन समूह

जलबिरे महिला सामुदायिक वन गोरखा जिल्ला के खैरेनी बाजार के नजदीक ही स्थित है । इसके पूर्व एवं पश्चिमी सीमा में खैरेनी गोरखा सडक है । उत्तर और दक्षिण वन क्षेत्र (१ हेक्टर बराबर २.५ एकड) है और यह क्षेत्र दो भागों में बंटा हुआ है । एक नं क्षेत्र में सिसम, कपूर, खैयर आदि वृक्षों का रोपण हुआ है । इस क्षेत्रमें प्राकृतिक रूप में हुए वन भी पाये जाते है ।

दो नं. क्षेत्रका दक्षिणी भाग चारागाह से प्रभावित है। इस क्षेत्रमें ठूंठ एवं नये उपजे हुए साल के पेड (पौधें) पाए जाते है । साथ ही आम, सिरीस, खयर आदि के पेड भी पाये जाते है । यदि चारगाहका विस्तार इसी तरह होता रहा तो नये उपजे हुए साल के वृक्षों को खतरा है ।

२५ बर्ष पहले तक यहां स्थित घना वन राजमार्ग वनने के बाद, राजमार्ग से भी नजदीक और गोरखा जाने वाले मार्ग के बगल में तथा बजार के नजदिक स्थित यह वन क्षेत्र द्रुत गति से नष्ट होता गया । शुरू से हि खुला, सार्वजनिक वन होने के कारण किसि ने भी इसके संरक्षण के लिए आवाज नही उठाई । इस वन से खैरनी बाजार में केवल घर वनाने के लिए ही नही अपितु

चोरी के रूप में दुसरी जगह निर्यात के लिए भी वृक्षोंका कटना आरंभ हुआ। ग्रामिणों ने भी चोरों का सामना करने की चेष्टा नहीं की ।

एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्था "बालबालिका बचाओं कोष" (सेभ दि चिल्ड्रेन फण्ड), ने इस क्षेत्र में प्रौढ शिक्षाका कार्यक्रम संचालन किया। इस संस्था ने महिलाओं को वन संरक्षणका तरीका बताया और वन-जंगल के महत्व को भी समझाया। सन् १९८९ में वन संरक्षण तथा विकास के लिए वन के नजदीक के घर-परिवारों से "जलबिरे महिला सामुदायिक वन समूह" नामका एक महिला वन उपभोक्ता समूहका गठन हुआ। इस समूह ने प्रत्येक सदस्य, घर-परिवार से मासिक रू ५। संकलन करना आरंभ किया एवं "सेभ द चिल्ड्रेन फण्ड" के सहयोग में सामुदायिक वन में कार्यक्रमोका आरंभ किया। सर्वप्रथम वि.सं. २०४७ (सन् १९९०) साल में वृक्षारोपण करके फिर से यह काम वि.सं. २०४८ (सन् १९९१) साल में भी किया गया। इसी समय में श्री ५ की सरकार, वन विभाग ने सार्वजनिक वन को सामुदायिक समूहोंको जिम्मा देते हुए, सामुदायिक वन कार्यक्रम आरंभ किया । सेभ द चिल्ड्रेन फण्ड" के माध्यम से गोरखा जिल्ला वन कार्यालय के साथ "सम्पर्क तथा समन्वय करके वन क्षेत्र के व्यवस्थापन के लिए कार्य संचालन योजना तैयार किया गया। वह कार्य संचालन योजना जिल्ला वन कार्यालयद्वारा वि.सं. २०४९।१।१४ (सन् १९९२) में तथा पश्चिमान्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयद्वारा २०४९।९।३२ (सन् १९९२) में स्विकृत हुआ।

सन् १९९१ (२०४८ साल) में जलबिरे महिला सामुदायिक वन समूह में ४४ घर तथा उपभोक्ताओं की संख्या २५८ एवं १७९ पशु समाविष्ट थे । वन के आसपास के सभी घर-परिवार के सदस्य समूह में सामील थे। सन् १९९४ (२०५१ साल) तक घर-परिवारोंका उठकर दुसरे जगह चले जाने के कारण घर-परिवारों की संख्या घट कर ३१ रह गयी, तथा हाल ही में एक घर-परिवार की बढोतरी हुइ हैं । जलबिरे महिला सामुदायिक वन समूह सहकारी संस्था के रूप में संचालित है । उपभोक्ताओं में मगर, गुरूङ एवं क्षेत्री जातीयों की संख्या अधिक है। सभी सदस्य महिला है और अधिकतर निरक्षर है ।

वन व्यवस्थापन का उद्देश्य

वन क्षेत्रके उत्पादकत्व में सुधार करके, घांसपात (पशु आहार) इन्धन तथा काठ के दैनिक आवश्यकताको पूरा करना जलबिरे महिला सामुदायिक वन समूह ने, निम्नलिखित अनुसार व्यवस्थापन का उद्देश्य लिया है:

- वन के स्तरका सुधार करना, उत्पादन बढाना, बोये हुए पौधों की सुरक्षा करना ।
- अपने सदस्यों के लिए दैनिक इच्छित वन-पैदावार की आवश्यकता धिरे-धिरे पुरी करते जाना ।
- भू-क्षय का नियन्त्रण करना, पानी के मुहानोंका संरक्षण करना तथा प्राकृतिक संतुलन कायम रखना ।
- दीर्घकालिन आधार में वन से आर्थिक लाभ लेना, वन के आमदानीको समुदाय के कल्याण के लिए प्रयोग करना ।
- वन संरक्षण एवं व्यवस्थापन में महिलाओं के अधिक सकीय सहभागिता के कारण, इसके प्रभावको अन्यत्र विस्तार करके महिला वन उपभोक्ताओं को वन संरक्षण में सकीय वनाने के लिए पथ-प्रदर्शन करना ।

विवाद

सन् १९९१ (२०४८ साल) के कार्य संचालन योजना अनुसार एक नं. क्षेत्र में कोई भी वृक्ष नहीं काटना, दो नं. क्षेत्र में पानी के मुहान के नजदीक खुले स्थान में और सडक के नजदीक सभी वृक्षों को यथावत रहने देना, एवं आम और खयर के वृक्षके अलावा दुसरे स्थानों में निम्न लिखित के अनुसार वृक्ष के कटान की व्यवस्था थी ।

- सन् १९९२ (२०४९ साल) सवारी मार्ग के किनारे एक प्रतिक्षालय वनाने के लिए एक मात्र साल के वृक्ष को काट्ने की व्यवस्था ।
- सन् १९९३ (२०५० साल) में काठ के लायक कोई भी वृक्ष नहीं काटना।
- आवश्यकता पडने पर १९९४ (२०५१) में दो वृक्षों का कटान संभव ।
- सन् १९९५ (२०५२ साल) में ज्यादा से ज्यादा चार वृक्ष काटने की व्यवस्था ।
- सन् १९९६ (२०५३ साल) में ज्यादा से ज्यादा पांच वृक्षों का कटान संभव ।

कार्य संचालन व्यवस्था में ऐसी नियन्त्रण की व्यवस्था होते हुए भी कूल मात्र ९६६.२१ क्यूविक फिट काठ के लिए सन् १९९२ (२०४९ साल) में साल, मौवा आदि के वृक्षोंका कटान हुआ । (तालिका १ देखिए) । इससे पहले समूह ने वन के गोलमाल और सफाई करते हुए एक चट्टा सालका इंधन और कुछ दुसरे वृक्षों के इंधन को जमा किया था । "जलबिरे समूह" के अनुसार काठ एवं

इंधन जमा करने का काम जिल्ला वन कार्यालय एवं रेन्जर कार्यालय के देखरेख में किया गया था, किन्तु इस बात को साबित करने के लिए वे लोग लिखित रूप में सबुत पेश नहीं कर पाये । वन विभाग के कर्मचारीयों ने यह आदेश दिया था या नहिं, इसकी पुष्टि नहीं हुइ है ।

तालिका १: कटे हुए वृक्षों के प्रकार एवं परिमाण

क्रम संख्या	प्रकार	परिमाण क्यू.फि.
१	खुजलाने वाले	३१७.०६
२	मौवा	५०६.००
३	साल	१४३.१५
जम्मा		९६६.२१

महिला उपभोक्ता समूहद्वारा काठ जिल्ला के बाहर ले जाकर बिक्री करनेका निर्णय करना भी विवाद का एक कारण है । कटे हुए वृक्षों को गोरखा जिल्ला के भीतर न बेच कर काठमाण्डु में बेचना, आमदानी बढाने के लिए महिला समूह का निर्णय की वजह से इस विवाद काठमाण्डु के प्रतिस्पर्धापूर्ण बजार में काठ के ठेकेदारों के व्यापार में खतरे की स्थिति को पैदा किया । महिला समूह इस फायदे को हडप सकती है, यस सोंचकर ठेकेदारों ने इस समस्या एवं विवादका राजनीतिकरण करना आरंभ किया । संभवत: इस निहित स्वार्थ से प्रेरित होकर उन लोगों ने महिला समूह के विरूद्ध में स्थानीय प्रशासनिक निकायों का संचालन करना आरंभ किया। जिससे विवाद एवं इसके समाधान की संभावना स्थानीय जिल्ला(स्तर के कार्यवाहीद्वारा संभव होति हुई नहीं देखी गयी अंतत: इस विवाद को केन्द्र के अधिकारी के समक्ष लाया गया ।

विवाद समाधान के प्रयास

सामुदायिक वन के कार्य संचालन योजना को नही करने के कारण वन कार्यालय एवं जलबिरे महिला सामुदायिक वन समूह के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों पक्षों के बीच आपसी समझदारी द्वारा ही इस विवाद का अंत हो सकता था, किन्तु निहित स्वार्थवस ठेकेदारोंव्दारा इस बात का राजनितिकरण होने के कारण किसी ने भी इसका समाधान नहीं करना चाहा । स्थानीय तह में

समाधान नहीं होने के कारण विवाद केन्द्र तक पहुंच गया । प्रतिवेदन पेश कर दिया या फिर भी तत्काल स्थानीय संस्थाओद्वारा नियंत्रण में रखकर समस्या समाधान करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं हुआ ।

२३ अप्रिल, १९९३ (२०५०।१।११) में जिल्ला वन अधिकारी ने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया । सात महिनो के बाद अर्थात २०५०।८।८ को निर्देशनालय के परिपत्र (२०५०।६।१४ का) के अनुसार यह समस्या निर्देशनालय के कार्य क्षेत्र के भीतर नहीं पडता है, ऐसा जवाब आया । अप्रिल १९९३ (२०५०।१।४) में वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय में एक छानविन टोली गठन हुई । टोली ने ५ मई सन् (२०५०।१।२२) को किसि प्रकार से विवाद सुलझाने के लिए प्रयास नहीं किया तथा पुन: २०५०।३।२१ में जिल्ला वन कार्यालय के नये अधिकृत ने आवश्यक निर्देशन के निमित्त अनुरोध किया तथा अन्त में २०५०।१२।२९ में राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णय के बाद २०५०।१२।३० ही वन विभाग काठमाण्डु ने इस विषय में अन्तिम निर्णय दिया।

वन विभाग के निर्णय का विश्लेषण

आपसी समझदारी में विवाद का समाधान नहीं होते हुए भी वन विभाग के निर्णयव्दारा दोनों पक्षों की चाहना की पूर्ति कुछ हद तक हुइ है । वन विभाग के ३१ अप्रिल के निर्णय के अनुसार कार्य संचालन योजना, विपरीत काम करने वाले उपभोक्ता समूहका अधिकार हो सकता है, ऐसी व्यवस्था नियमावलि में की गई है । समूह का साधारण सभा के निर्णय के अनुसार काम करना अथवा नहीं करना, ऐसी छूट समूहको दी गई है । वन विभाग के निर्णय में यह कहा गया है कि संशोधित कार्य संचालन योजना की स्विकृती के बाद उपभोक्ताओं के लिए काठ उपलव्ध कराया जायगा । साथ ही वन-पैदावार के बिक्रीद्वारा आर्जन होने वाली रकम वन संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए ही केवल उपयोगी हो सकती है । इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि एक तरफ वन विभाग महिला समूह को कार्य संचालन योजना विपरीत काम करने पर सजा और चेतावनी देना चाहता है, और दूसरी ओर उपभोक्ता समूहका विघटन करने का निर्णय भी स्वयं करना चाहता है ।

इस निर्णय के अनुसार कार्य संचालन योजना का संशोधन किया गया और इस के कार्यान्वयन करने विषय में सामुहिक निर्णय हुआ । फिर भी कुछ समस्याएं बांकी ही रही । उदाहरण के लिए संशोधित कार्य संचालन के योजना में समूह

को कोष में संकलित रकम के व्दारा ऋण देने की अनुमति नहीं दी गयी थी, फिर भी उस समूह ने एक बाहरी व्यक्तीको घर गिरवी रख कर कुछ रकम ऋण के रूप में दिया । इस कार्य को संशोधित कार्य संचालन योजना विपरीत कहा जा सकता है, किन्तु महिला समूह के कथन अनुसार इस दफा के विषय में उन्हे सूचना नही थी ।

वन विभागका निर्णय एवं इसका असर

१. २०४९ साल माघ में कटे हुए वृक्षों के विषय में विवाद के सम्वनध में २०५०।१२।३० में मात्र निर्णय किया । इस देरी के कारण करीव २५ प्रतिशत काठ सडगलकर महिला समूह के लिए ही नहीं बल्की राजस्व के कारण राष्ट्रीय अर्थतन्त्र ने भी नुक्सान को बहन किया ।

२. निर्णय विलम्व एवं सम्वन्धित अनिश्चितता के कारण जलबिरे महिला सामुदायिक वन समूह के वन की देखरेख की क्षमता में भी हानी हुई । इससे लोगों के मनोबल और रूची में कुंठा महसुस की गई । इस प्रकार उस संस्था का अस्तित्व ही खतरे में आ गया ।

३. कार्य संचालन योजना मात्र ५ वर्ष के लिए ही मान्य है एवं निर्णय अनुसार पुरी योजना अवधि तक वृक्ष काटने की मनाही है । इस कारण महिलाएं भविष्य में इस कार्यक्रम के द्वारा कोई ठोस फायदा नहीं पा सकती है, ऐसा विचार रखती हैं ।

४. निर्णय के अनुसार वन-पैदावार के बिक्रीद्वारा अर्जित रकम वन संरक्षण और बचाने के लिए प्रयोग करनी पडती है । वन ३.९३ हेक्टर तक ही भू प्रदेश में फैला है । इसलिए सभी अर्जित रकम को इसके संरक्षण एवं बचावट में ही मात्र प्रयोग करना संभव नहीं है। अपने आर्जन को सामाजिक विकास कार्य में खर्च न करने के कारण यह समूह निरूत्साहित दिखता है ।

५. वन विभाग के निर्णय ने मात्र महिला समूह पर असर किया है । कार्य योजना के विपरीत वृक्ष कटान के विषय में जानकारी रखने वाले वन कर्मचारीयों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई ।

६. निश्चित रूप में तय किये हुए वन, ऐन, कानून नियम और नियमावली न होने की स्थिति में वन विभाग के व्दारा हुए इस निर्णय के कारण गोरखा जिल्ला के अन्य उपभोक्ता समूह, कार्य संचालन योजना के विपरीत वृक्ष कटान के व्यवस्था की मांग कर रहे है । ऐसा यदि करने दिया गया तो सामुदायिक वन कार्यक्रम नीति स्पष्ट रूप में उल्लंघित होती है

तथा सामुदायिक वन कार्यक्रम की सफलता में प्रश्न चिन्ह उठ सकता है ।

७. २०४८ सालके कार्य संचालन योजना के दफा २० में उल्लेख किए गए अनुसार "जलबिरे महिला सामुदायिक वन समूह" का लेखा बैंक में खाता खोलकर संचालन करना तथा कम से कम आमदानी का २५ प्रतिशत वन संरक्षण और विकास के लिए प्रयोग करना पडेगा । बांकी रकम स्वयं निर्णय के अनुसार समूह खर्च कर सकता है ।

२०५१ साल में संशोधित कार्य संचालन योजना के दफा २२ के अनुसार कम से कम अर्जित रकम का ७५ प्रतिशत रकम वन विकाश के कार्य में खर्च करनी पडेगी । इसके अतिरिक्त २०४९ तथा २०५० में संकलित काठ तथा इंधन के लीलाम बिक्रीव्दारा प्राप्त रकम को वन संरक्षण तथा बचाव के लिए ही खर्च किया जा सकता है, ऐसा उल्लेख हुआ है । फलस्वरूप समूह के सदस्य हतोत्साहित हुए है । अर्जित रकमका ७५ प्रतिशत रकम वन विकास के कार्य में ही खर्च करना पडेगी, ऐसा सोचकर अन्य समूह भी सामुदायिक वन प्रणाली के प्रति अभिरूचि लेनी छोड रहे हैं ।

८. २०४८ साल के कार्य संचालन योजना ने महिला समूह को योजना में संशोधन करने का अधिकार दिया था । संशोधित योजना में ऐसी व्यवस्था हटाई गई है । इससे यह अर्थ लगाया गया है कि वन को समूह के जिम्मा में रखते हुए भी इसके कार्य संचालन का पूरा अधिकार वन विभाग में ही रहता है, क्योंकि समूह अपनी इच्छा अनुसार कार्य संचालन योजना संशोधन नहीं कर सकता है ।

९. २०४८ साल के कार्य संचालन योजना ने उपभोक्ता समिति को रू. २०० तक खर्च करने का अधिकार दिया है । इससे अधिक खर्च करने की स्थिति में उपभोक्ता समूह को स्वीकृती की आवश्यकता है । यह बात भी संशोधित कार्य संचालन योजना में छुटी हुई प्रतित होती है ।

१०. संशोधित कार्य संचालन योजना ५ बर्ष तक के लिए लागु होता है तथा पहले के योजना में नवीकरण करने की व्यवस्था होने के कारण हाल के योजना में पुन: नवीकरण करने की व्यवस्था नहीं है । जिससे समूह में, ५ वर्ष के बाद क्या वन फिर से वापस देना पडेगा? ऐसी असुरक्षा की भावना है ।

विवाद से सम्बन्धित सभी विभिन्न स्तरों में विवाद के असर एवं वन विभाग के निर्णय के बारे में उचित छानविन की आवश्यकता है ।

सामाजिक एवं लिंग भेद सम्बन्धित प्रभाव

कार्यक्रम का मुख्य प्रभाव, महिला सदस्यों के प्रोत्साहन एवं इच्छा पे पडा है। महिलाएं ही वन क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन करने के संवन्ध में वन विभाग के साथ सम्झौता करने के लिए अग्रसर हुइ थी । इस कारण गांव-घर में पुरूषों के द्वारा महिलाओं ने स्वयं को अपमानित अनुभव किया था ।

वन विभाग के प्रति विश्वास का घटना

विवाद से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण महिला सदस्यों का वन विभाग के प्रति विश्वास समाप्त होता गया है । समूह की बैठक में हाजिर होने में भी रूची कम दिखाई पडती है । इसका भूतपूर्व प्रभावका विश्लेषण बांकी है ।

आर्थिक प्रभाव

विवाद के समाधान की अवधि लंबी होने के कारण कटे हुए वृक्ष सड्ने लगे। २५ प्रतिशत काठ के सड् जाने से महिला समूह के आय में नुक्सान हुआ । इसके अतिरिक्त जलबिरे महिला वन समूह ने अपनी कूल आमदानी रू ३०४,५९१ द्वारा बिक्री कर के रूप में रू. ५९,३९१ दिया है । इसके कारण राजस्व में भी ह्रास दिखता है ।

विगत एवं हाल के प्रचलन अनुसार जिल्ला में "जिल्ला वन अधिकारी" द्वारा हुए लिलाम काठ की आमदानी राजस्व में दाखिल होने पर ही केवल बिक्री कर लग सकता है । नेपाल के अन्य सामुदायिक वन समूहों कि, सामुदायिक वन क्षेत्र के वन-पैदावार अथवा निजी जमीन के वन पैदावार को बेचना पर बिक्री कर नहीं लगता आया है । इससे यह पता चलता है कि जानकारी एवं सतर्कता के अभाव में जलबिरे महिला समूहद्वारा प्रदत्त रकम रू ५९,३९१ नुक्सान हुआ है।

संस्थागत प्रभाव

इस नकारात्मक अनुभव के कारण गांव-स्तर की एक-एक संस्था हतोत्साहित एवं कमजोर हो रही है । फलस्वरूप सदस्यों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आगे चलकर वन संरक्षण एवं व्यवस्थापन में उनकी भूमिका कैसी होगी ?

जैविक वातावरणीय प्रभाव

महिला समूह की अभिरूची तथा संरक्षण प्रति के गहन संलग्नता के कारण उनलोगों की देख-रेख मे वन तेजी से बढ रहा था । विवाद आदि के कारण उनलोगों की प्रतिवद्धता कम होती गई। जिससे वह वन चारागाह में परिणत होता गया, यदि वन विनाश की गति इसी प्रकार रही तो आमदानी घट सकती है ।

वन विभाग में प्रभाव

वन विभाग के प्रति भी नकारात्मक प्रभाव दिखाई पडता है, जैसे वन का ह्रास होते जाना, कार्य संचालन योजना विपरीत काम होना, तथा अन्य समुदायों का सामुदायिक वन कार्यक्रम लागू करने में हिचकना । वर्तमान में गोरखा जिल्ला में ९१ वन उपभोक्ता समूह है, तथा ५ और वन समूहोंके कार्य संचालन की योजनाएं तैयार हो रही है । सामुदायिक वन प्रयोग करने वाले उपभोक्ता समूह अधिक होने के कारण वन विभाग तथा समूहों के बीच विभिन्न प्रकारके विवाद खडे हो सकते है ।

लिङ्ग भेद के कारण पडा हुआ असर

एक गांव-स्तर की और वह भी महिलाओं की संस्था अकेले टिक नहीं सकती है । अत: प्राकृतिक सम्पदाओं से प्राप्त होनेवाले लाभ के उपर अधिकार और नियन्त्रण का प्रश्न, स्त्रि-पुरूष की भूमिका के कारण, जटिल हो गया है ।

विवाद एकदम ही असंतुलित शक्तियों के बीच उठा है । एक ओर श्री ५ के सरकार का वन विभाग है, तो दूसरी तरफ एक छोटी सी महिला समूह है । निरक्षरता के कारण ये महिलाएं प्रशासनिक एवं कानूनी बाते नहीं समझती है । इससे यह स्पष्ट होता है कि, उनलोगों ने किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ती के व्दारा वन सम्बन्धी कार्य संचालन के लिऐ आदेश पाए होंगे, जिसके कारण २०४९ साल की कार्य संचालन योजनाका उलंघन हुआ । पुरूष भी महिलाओं से असंतुष्ट थे, जिससे महिलाओं का वन विभाग के साथ विवाद के समय किसी ने उनका पक्ष नहीं लिया ।

वर्तमान अवस्था में महिलाओंद्वारा सामुदायिक वन से आर्जित की गई रकम साधारण विकास के काम में खर्च नहीं की जा सकती है, तथा उनलोगोंका

निर्णय करनेका अधिकार भी ज्यादा ही सीमित हो गया है। समूह के सदस्योंको तत्काल कोइ नया घर नहीं वनाना है, जिससे काठ की आवश्यकता हो । इंधंन और चारे खेती से बची हुए सामग्रीयोंद्वारा पूर्ण हो जाती है । ऐसी स्थिति में उन्हे (महिलाओं और पुरूष को) लगता है, कि उन्हे वन की आवश्यकता नहीं, बल्की उससे आर्जित रकम की जरूरत है । इस वजह से वन व्यवस्थापन के कार्य में अभिरूची की कमी हो रही है ।

कानूनी प्रश्न

दोनेा पक्षों के बीच सम्झौता के प्रति कार्य संचालन योजना मौन है। वन ऐन १९९३ के एक प्रावधान के अनुसार कार्य संचालन योजना का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता समूह का विघटन हो सकता है। इसका कारण यह हो सकता है कि वन ऐन १९९३ को दफा ५ का उल्लेख कर के भेजा गया था, जो वन ऐन अभी तक भी आरंभ नहिं हुआ है ।

वन ऐन १९९३ में सामुदायिक वन व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता समूह के गठन सम्वनधी व्यवस्था है, फिर भी उसके कार्यान्वयन की नियमावली अभी तक नहीं आयी है। वन ऐन सन् १९६१ में सामुदायिक वन के विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं है, किन्तु पंचायती वन का उल्लेख है। शर्तों के आधार पर सरकार सार्वजनिक वन का वृक्षारोपण के लिए ग्राम पंचायत को दे सकती थी, ऐसी व्यवस्था थी। वन ऐन १९९३ के दफा २९.२९(९०) तथा ३२ के अन्तर्गत सामुदायिक वन तथा उपभोक्ता समूह की व्यवस्था के विषय में उल्लेख है।

सन् १९९५ में जिल्ला वन अधिकारीका सहयोग लेकर महिला समूहद्वारा एक नयी कार्य संचालन योजना को वनाने की बात थी। किन्तु महिला समूह के संलग्नता के विना ही जिल्ला वन अधिकारी ने कार्य संचालन योजनाका संशोधन किया। फिर भी इन लोगों (वन अधिकारी) से किसी ने भी पुछताछ नहीं की। वन अधिकारी के तबादले के बाद नये नियुक्त अधिकारी ने ५ जनवरी,१९९४ (पुष २०५०) में सरकार से निर्देशन की माग किया।

उपभोक्ता समूह के कार्य संचालन योजना को जिल्ला वन अधिकारी ने १६ अप्रिल १९९२ (बैशाख २०४९) मे स्वीकृत किया था फिर भी करीब एक साल के बाद क्षेत्रीय वन निर्देशनालयव्दारा १६ अगस्त १९९२ (श्रावण ३२,२०४९) में

दी हुई स्वीकृती के आधार पर उपभोक्ता समूहों को वन हस्तान्तरण किया गया। इस धीमी गति के कार्य के कारण विवाद एवं भ्रम की अवस्था आ सकती है।

विवाद जनवरी १९९२ (माघ २०४८) में शुरू हुआ किन्तु इस संबन्ध में १२ अप्रिल १९९४ (२०५०।१२।३०) को जाकर निर्णय किया गया। इस तरह वन विभाग ने २४ महिना से ज्यादा में विवाद समाधान किया ।

आपसी बातचीत के व्दारा विवाद का समाधान नहीं हुआ यह तो स्पष्ट ही है, साथ ही इस संबध में उठी हुई समस्या, अन्य विभिन्न बातें एवं उनके प्रभाव का विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि विवाद समाधान प्रक्रिया का कार्य संचालन योजना में स्पष्ट रूप में उल्लेख होना चाहिए। बैकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रियाका निश्चित तरीके का उल्लेख होने पर समय एवं पैसे की बचत होने के साथ ही सम्बन्धित पक्षों के बीच भी बहुत समय के लिए रचनात्मक संबन्ध, कायम हो सकता है। इससे उनलोगों में कोई पक्ष भी नही हारा एवं दोनो पक्षों की जीत हुई, ऐसी धारणा वनती है । यदि विवाद राजनीतिकरण से मुक्त हो जाता है तो नकारात्मक असर कम हो सकते है । अन्यथा श्री ५ की सरकार तथा वन विभाग जैसे निकाय तथा एक छोटी महिला समूह बीच शक्ति सन्तुलन बराबरें नहीं हो सकती है, एवं महिला समूह को वन विभाग के निर्णयको मानने की मजवुरी हो सकती है ।

संभाव्य सिफारिश की खोज

<u>नीति निर्माण-स्तर</u>

- वन ऐन १९९३ तुरून्त ही लागू हो। राजपत्र में सन् १९९३ में प्रकाशित ऐन, २०५१ माघ तक भी लागू नहीं हो पाया है, इसके वन सम्वन्धी क्रियाकलाप तथा निर्णय में ज्यादा ही असुविधा एवं अनिर्णयता की स्थिति दिखाइ देती है ।
- वन नियमावली तुरन्त ही लाया जाए तथा इसमे सामुदायिक वन एवं उपभोक्ता समूहों के लिए संचालित करने के लिए सभी आवश्यक नियम विनियम का समावेश होना चाहिए ।
- कार्य संचालन योजना को स्वीकृती देनेका अधिकार एक निकाय को सौपना चाहिए ।

- वन विभाग के विवाद को सुलझाने के विषय में निर्णय करने की परम्परागत प्रक्रिया का पुनरावलोकन कर निर्णय के लिए अनावश्यक लम्वा समय लेना आलस करना, इन दोनो अवस्थाओं को छोड्ना चाहिए।

<u>विभागीय स्तर</u>

- विवाद से संवन्धित किसी पक्ष ने यह जिक किया कि सरकारी कर्मचारी के निर्देशन के कारण विवाद उठा है, तो संवन्धित कर्मचारी से इस संबन्ध में लिखित जानकारी लेनी चाहिए ।
- विवाद के संबंध में उचित समयावधि के भीतर ही निर्णय देना चाहिए।
- समूहोंको अपनी आमदानी समुदाय के हीत के लिए प्रयोग करने देना चाहिए ।

<u>जिल्ला वन कार्यालय-स्तर</u>

- जिल्ला वन अधिकारी को विशेष अदालत के न्यायाधिश के जैसा ही अख्तियार दिया गया है । इसलिए न्यायिक अंग के जैसा ही काम करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया के विषय में तालीम देनी चाहिए। न्यायिक जानकारी नहीं होने के कारण ही डि.एफ.ओ.द्वारा २७ सेप्टेम्वर १९९३ में भेजी हुई टिप्पणी कार्यान्वयन में नहीं आपायी इसमें वन ऐन सन् १९९३ का उल्लेख किया हुआ हो सकता है ।
- कार्य संचालन योजना तैयार करने के लिए या संशोधन करने के लिए उपभोक्ता समूहको पूर्ण अधिकार देना चाहिए । वन विभाग अधिकारी केवल प्राविधिक सल्लाह ही दे सकता है ।
- जिल्ला-स्तर में ही विवाद समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके तहत दोनों पक्षों के बीच समय-समय में बातचीत एवं संचार करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए ।
- सभी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों को कार्य संचालन योजना वनाने के लिए, नियम कानून के विषय में चेतना आने के लिए तालीम का संचालन करना चाहिए ।

<u>समुदाय-स्तर</u>

- उपभोक्ता समूहको कार्य संचालन योजना के अनुसार काम करना पडता है ।

- डी.एफ.ओ. के निर्देशन में किये जाने वाले काम कार्यवाहीं के संबन्ध में मौखिक ही नहिं लिखित रूपमें निर्देशन लेना चाहिए ।
- महिलाओं को सामुदायिक वन के विषय में तालीम देना चाहिए ।

सन्दर्भ सामग्री

१. सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्य संचालन योजना, द्यौराली गा.वि.स. जलबिरे महिला सामुदायिक वन तथा इसके संशोधन, जिल्ला वन कार्यालय, गोरखा ।
२. जलबिरे महिला सामुदायिक वन समूह के वैठक के मुख्य मुख्य निर्णय ।
३. जिल्ला वन कार्यालयव्दारा वन मन्त्रालय में प्रेषित प्रतिवेदन ।
४. जिल्ला वन कार्यालय, गोरखा का १५ अक्टुवर १९९३ का प्रतिवेदन ।
५. वन विभाग, सामुदायिक वन विकास महाशाखा का अन्तिम निर्णय, मार्च १९९४ ।
६. वन ऐन, २०१८ तथा वन ऐन, २०४९

ICIMOD

ICIMOD is the first international centre in the field of mountain development. Founded out of widespread recognition of environmental degradation of mountain habitats and the increasing poverty of mountain communities, ICIMOD is concerned with the search for more effective development responses to promote the sustained well being of mountain people.

The Centre was established in 1983 and commenced professional activities in 1984. Though international in its concerns, ICIMOD focusses on the specific complex and practical problems of the Hindu Kush-Himalayan Region which covers all or part of eight Sovereign States.

ICIMOD serves as a multidisciplinary documentation centre on integrated mountain development; a focal point for the mobilisation, conduct, and coordination of applied and problem-solving research activities; a focal point for training on integrated mountain development, with special emphasis on the assessment of training needs and the development of relevant training materials based directly on field case studies; and a consultative centre providing expert services on mountain development and resource management.

MOUNTAIN NATURAL RESOURCES' DIVISION

Mountain Natural Resources constitutes one of the thematic research and development programmes at ICIMOD. The main goals of the programme include i) Participatory Management of Mountain Natural Resources; ii) Rehabilitation of Degraded Lands; iii) Regional Collaboration in Biodiversity Management; iv) Management of Pastures and Grasslands; v) Mountain Risks and Hazards; and vi) Mountain Hydrology, including Climate Change.

Participating Countries of the Hindu Kush-Himalayan Region

- Afghanistan
- Bangladesh
- Bhutan
- China
- India
- Myanmar
- Nepal
- Pakistan

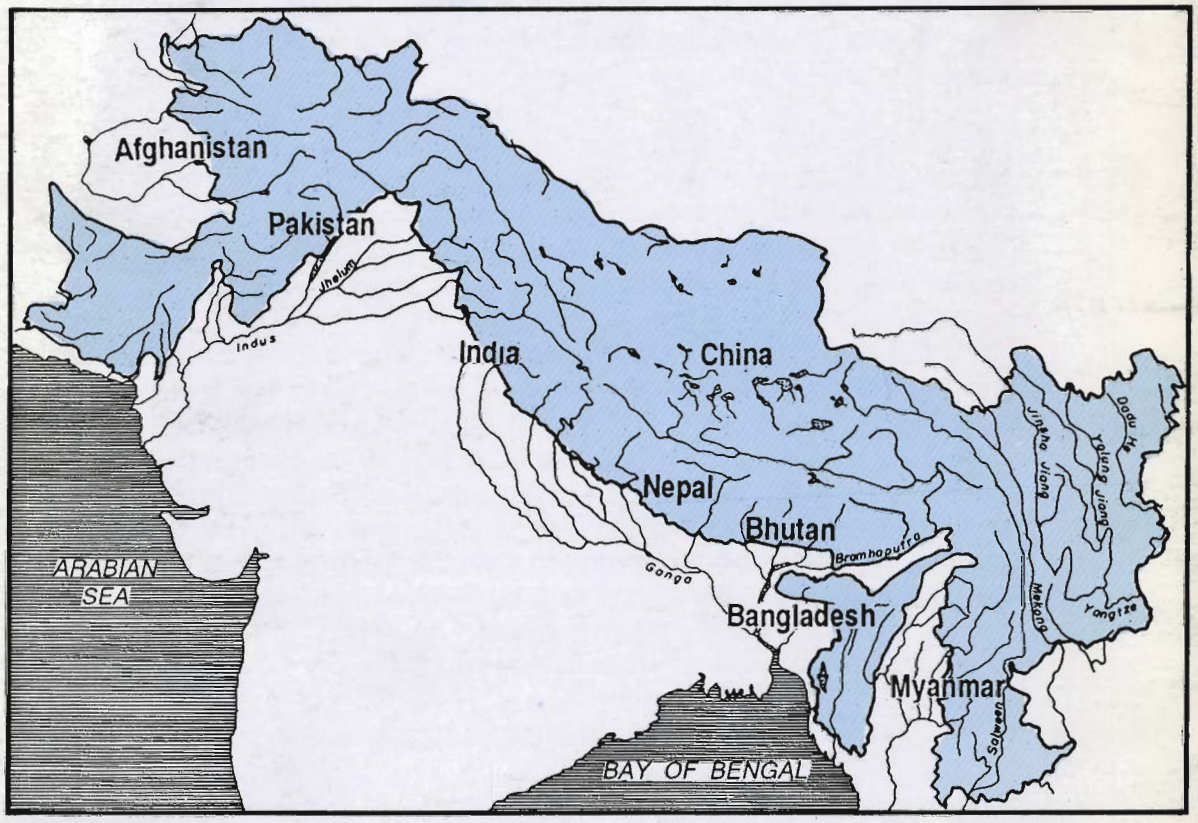

INTERNATIONAL CENTRE FOR INTEGRATED MOUNTAIN DEVELOPMENT (ICIMOD)

4/80 Jawalakhel, G.P.O. Box 3226, Kathmandu, Nepal

Telex : 2439 ICIMOD, NP
Telephone : (977-1-525313)
e-mail : dits@icimod.org.np

Cable : ICIMOD, NEPAL
Fax : (977-1) 524509
(977-1) 524317